"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जून 2008—ज्येष्ठ 23, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं टी. पांडिया राजा आत्मज श्री पी. थंगप्पा नाडार, उम्र 49 वर्ष, निवासी 75/8, गांधी नगर, मैत्री कुंज, रिसाली, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र पी. प्रतीक श्रेयास, उम्र 9 वर्ष का नाम परिवर्तित कर पी. श्रेयास नाडार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को पी. श्रेयास नाडार आत्मज टी. पांडिया राजा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
पी. प्रतीक श्रेयास आत्मज टी. पांडिया राजा निवासी 75/8, गांधी नगर मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई नगर तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)	पी. श्रेयास नाडार आत्मज टी. पांडिया राजा निवासी 75/8, गांधी नगर मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई नगर तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नेमसिंह साहू आत्मज श्री रामकुमार साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम सिलतरा, तह. व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नेमसिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है.

अत: अब मुझे नेमसिंह आत्मज श्री रामकुमार के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
नेमसिंह साहू आत्मज श्री रामकुमार साहू निवासी-ग्राम-सिलतरा तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.)	नेमसिंह आत्मज श्री रामकुमार निवासी-ग्राम-सिलतरा तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2008

क्रमांक/412/अ. वि. अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री राजेश सेवस्व्यन आत्मज श्री मनी सेवस्व्यन, निवासी अनुपमनगर शंकर नगर, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य को दो प्रतियों में प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 16-6-08 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं संपत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	"अल्का ओमेगा चैरिटेबल ट्रस्ट, ओ-10" अनुपमनगर शंकरनगर, रायपुर, छ. ग.
2. चल संपत्ति	:	फेडरल बैंक, खाता क्र. 14450 राशि 1000=00 रुपये
3. अचल संपत्ति	:	निरंक

टी. पी. सिन्हा,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, धमतरी, जिला-धमतरी, छ. ग.

धमतरी, दिनांक 24 मई 2008

प्रकरण क्रमांक 3 ब/113 वर्ष 2007-08.—आवेदक संत हरिओम चेला स्वामी सदगुरु सर्वानंद जी महाराज श्री प्रेमप्रकाश आश्रम एवं अन्य एक के द्वारा श्री प्रेम प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट धमतरी का छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शायी संपत्ति को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने आवेदन प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 23-6-2008 को न्यायालय अवधि में रखी जावेगी. संबंधित पक्षकार जो उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होवें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आवेदन/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं संपत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री प्रेम प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट धमतरी
2. चल संपत्ति	:	स्टेट बैंक, धमतरी खाता क्रमांक 110800871509 में 35411.95 रु. नगद राशि-9140.00 रुपये मात्र
3. अचल संपत्ति	:	ग्राम धमतरी, प. ह. नं. 16, रा. नि. मं. धमतरी, में स्थित भूमि

खसरा नं.	रकबा नं.
168/11	0.076 हेक्टयर

ए. के. शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 22 मई 2008

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उप-धारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक क्यू/प्र.1/अविअ/08.—चूंकि सदर (प्रधान) श्री गोपाल खत्री आ. स्व. मंशाराम खत्री द्वारा "संत टिंडनराम सेवा समिति ट्रस्ट" कंवर नगर, सिंधी कालोनी, दुर्ग, छ. ग. ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम की 1951 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गई. न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 9-6-08 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करती है.

अत: मैं क्यू. ए. खान, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 9-6-08 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं संपत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	" संत टिंडनराम सेवा समिति ट्रस्ट " कंवर नगर, सिंधी कालोनी, दुर्ग, छ. ग.
2. चल संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,
पंजीयक

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/998.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., काठाकोनी, पंजीयन क्रमांक 185 दिनांक 30-12-04 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 505 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, महिला बहुउद्देशीय सह. स. मर्या., काठाकोनी को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/999.—श्री राम मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, भीमपुरी, पंजीयन क्रमांक 3126 दिनांक 31-3-93 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 500 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, श्री राम मछुवा सह. स. मर्या., भीमपुरी को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1000.—आशीर्वाद प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या., गोंड़पारा, पंजीयन क्रमांक 3369 दिनांक 4-1-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 553 दिनांक 1-3-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, आशीर्वाद प्रा. उप. भंडार गोंड़पारा, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1001.—खुड़िया मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, खुड़िया, पंजीयन क्रमांक 2525 दिनांक 16-6-59 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 509 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, खुड़िया मत्स्योद्योग सह. स. मर्या., खुड़िया को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1002.—दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, हरदी, पंजीयन क्रमांक 3725 दिनांक 18-4-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 510 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, दुग्ध उत्पादक सह. स. मर्या., हरदी को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1003.—गुरु घासीदास कामगार सहकारी समिति, मर्यादित उड़गन, पंजीयन क्रमांक 3909 दिनांक 3-9-98 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 554 दिनांक 1-3-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, गुरु घासीदास काम. सह. स. मर्या., उड़गन को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1004.—जगदम्बा साख सहकारी समिति मर्यादित, रतनपुर, पंजीयन क्रमांक 197 दिनांक 4-2-2005 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 499 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, जगदम्बा साख सह. स. मर्या., रतनपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1005.— बालाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सकरी, पंजीयन क्रमांक 105 दिनांक 3-2-2005 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 506 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, बालाजी महिला बहु. सह. स. मर्या., सकरी को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1006.—कादम्बरी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, उस्लापुर, पंजीयन क्रमांक 104 दिनांक 1-2-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 508 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, कादम्बरी महिला बहु. सह. स. मर्या., उस्लापुर को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1008.—जय बजरंग आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, चंगोरी, पंजीयन क्रमांक 3158 दिनांक 27-1-86 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 507 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, जय बजरंग आदि. मछुवा सह. स. मर्या., चंगोरी को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1009.— जागृति महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, उस्लापुर, पंजीयन क्रमांक 3959 दिनांक 11-10-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 504 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर. जागृति महिला बहु. सह. स. मर्या., उस्लापुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1010.—खदान कामगार सहकारी समिति मर्यादित, छटन, पंजीयन क्रमांक 107 दिनांक 4-4-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 519 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, खदान कामगार सह. स. मर्या., छटन को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1011.—जय दुर्गा महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, मेन्ड्रा, पंजीयन क्रमांक 100 दिनांक 4-11-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 502 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर,जय दुर्गा महिला बहु. सह. स. मर्या., मेन्ड्रा को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1013.—जोगी बाबा पत्थर खदान कामगार सह. समिति मर्या., राजाडीह, पंजीयन क्रमांक 154 दिनांक 6-10-2003 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 517 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, जोगी बाबा पत्थर खदान काम. सह. स. मर्या., राजाडीह को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. के. गुप्ता, सह. वि. अ., मरवाही को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1014.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, फुलवारी कला, पंजीयन क्रमांक 3839 दिनांक 1-3-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 514 दिनांक 29-2-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, दुग्ध उत्पादक सह. स. मर्या., फुलवारी कला को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एन. के. कश्यप, सह. वि. अ., लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1015.—रश्मि महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, ढेंका, पंजीयन क्रमांक 101 दिनांक 24-11-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 592 दिनांक 7-3-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, रश्मि महिला बहु. सह. स. मर्या., ढेंका को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री के. ए. खान, सह. वि. अ., बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1016.—शिव शक्ति महिला बहुद्देशीय सह. समिति मर्या., सरगिट्टी, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 177 दिनांक 6-10-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 530 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, शिव शक्ति महिला बहु. सह. स. मर्या., सिरगिट्टी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री महेन्द्र बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1017.—घासीदास खनिज सहकारी समिति, मर्यादित, देव किरारी, पंजीयन क्रमांक 3805 दिनांक 1-10-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 532 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, घासीदास खनिज सह. स. मर्या., देव किरारी को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1018.—आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, पोंड़ी (बिटकुली) पंजीयन क्रमांक 3210 दिनांक 7-1-88 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 531 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर. आदिवासी मछुवा सह. स. मर्या., पोंड़ी (बिटकुली) को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1019.—बजरंग काम. एवं कारीगर सह. समिति मर्या., ऐठुल कांपा, पंजीयन क्रमांक 3934 दिनांक 5-4-99 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 546 दिनांक 1-3-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, बजरंग काम. एवं कारीगर सह. स. मर्या., ऐठुल कांपा को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1020.—अरपांचल पशु एवं कुटकुट पालन सह. समिति मर्या., बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3913 दिनांक 21-9-98 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 544 दिनांक 1-3-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, अरपांचल पशु एवं कुटकुट पालन स., बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1021.—सत्संगति आदिवासी रेत खनिज सह. समिति मर्या., मोतिमपुर, पंजीयन क्रमांक 3667 दिनांक 15-5-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 540 दिनांक 1-3-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, सत्संगति आदि. रेत खनिज सह., मोतिमपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, पथरिया को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1025.— मैकल खनिज सह. समिति मर्या., धनोली, पंजीयन क्रमांक 3763 दिनांक 18-9-1996 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 503 दिनांक 29-2-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, मैकल खनिज सह. समिति मर्या., धनोली को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, पेन्ड्रा रोड को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1026.— दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., हथनी कला, पंजीयन क्रमांक 3843 दिनांक 1-3-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 542 दिनांक 1-3-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, दुग्ध उत्पादक सह. स. मर्या., हथनी कला को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, पथरिया को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1027.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., भटगांव, पंजीयन क्रमांक 3150 दिनांक 26-10-85 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 541 दिनांक 1-3-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, दुग्ध उत्पादक सह. स. मर्या., भटगांव को परिसमापन में लाता हू तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, पथरिया को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1028.— लोक सेवा प्राथ. उपभोक्ता भंडार एन. ई. कालोनी, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3487 दिनांक 23-6-1992 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 532 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, लोक सेवा प्रा. उप. भंडार एन. ई. कालोनी, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1029.— को. आप. ट्रेनिंग सेन्टर सह. समिति मर्या., बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 2614 दिनांक 22-12-1960 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 551 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, को. आप. ट्रेनिंग सेन्टर सह. स., बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1030.— गायत्री महिला बहुद्देशीय सह. समिति मर्या., खमतराई, पंजीयन क्रमांक 3956 दिनांक 3-8-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 550 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, गायत्री महिला बहु. सह. स. मर्या., खमतराई को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1031.—ग्रामीण महिला बहुद्देशीय सह. समिति मर्या., सरगांव, पंजीयन क्रमांक 151 दिनांक 31-7-2003 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 548 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, ग्रामीण महिला बहु. सह. स. मर्या., सरगांव को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, पथरिया को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1032.—भैंसबोड़ फर्शी पत्थर खदान सह. समिति मर्या., भैंसबोड़, पंजीयन क्रमांक 3111 दिनांक 17-5-80 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 538 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, भैंसबोड़ फर्शी खदान सह. स. मर्या., भैंसबोड़ को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1033.— सर्व मंगला मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, बेलतरा, पंजीयन क्रमांक 3554 दिनांक 7-11-94 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 536 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, सर्व मंगला मछुवा सह. स. मर्या., बेलतरा को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1034.— विकास मछुवा सह. समिति मर्यादित, मोहतराई, पंजीयन क्रमांक 3696 दिनांक 27-10-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 537 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, विकास मछुवा सह. स. मर्या., मोहतराई को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1035.— आदर्श मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, गनियारी, पंजीयन क्रमांक 3181 दिनांक 10-4-87 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 501 दिनांक 29-2-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. बिलासपुर, आदर्श मछुवा सह. स. मर्या., गनियारी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. के. धुर्वे, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1036.—दुर्गा फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित, भैसबोड़, पंजीयन क्रमांक 3128 दिनांक 10-1-84 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 539 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, दुर्गा फर्शी पत्थर खदान सह. स. मर्या., भैसबोड़ को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1037.—बालाजी काम. एवं कारीगर सह. समिति मर्या., बुधवारी बाजार, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 148 दिनांक 13-6-2003 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 535 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, बालाजी काम. एवं कारीगर सह. स. मर्या., बुधवारी बाजार, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.